न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

प्र0न0 — 10/2023

अनवान : —

1. अनिल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. सुनिल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरित वली पिता ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान
कास्तकारी अधिनियम

उपरिथिति :— श्री महावीर सिंह **वादी**
श्री अक्षय कुमार प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः 28/3/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 169/206 के मु0न0 69 के किला न0 8 ता 14, 16 ता 25, मु0न0 76 के किला न0 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 19/1, 19/2 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2 मु0न0 77 के किला न0 1 ता 25 मु0न0 78 के किला न0 1 ता 8, 13 ता 16, 25 मु0न0 90 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 91 के किला न0 1 ता 5, 9 ता 12 मु0न0 92 के किला न0 1, 2 इस प्रकार कुल 19.4810है0 में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:17 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 169/206 के मु0न0 69 के किला न0 8 ता 14, 16 ता 25, मु0न0 76 के किला न0 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 19/1, 19/2 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2 मु0न0 77 के किला न0 1 ता 25 मु0न0 78 के किला न0 1 ता 8, 13 ता 16, 25 मु0न0 90 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 91 के किला न0 1 ता 5, 9 ता 12 मु0न0 92 के किला न0 1, 2 इस प्रकार कुल 19.4810है0 में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के नाम अन्य कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 169/206 के मु0न0 69 के किला न0 8 ता 14, 16 ता 25, मु0न0 76 के किला न0 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 19/1, 19/2 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2 मु0न0 77 के किला न0 1 ता 25 मु0न0 78 के किला न0 1 ता 8, 13 ता 16, 25 मु0न0 90 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 91 के किला न0 1 ता 5, 9 ता 12 मु0न0 92 के किला न0 1, 2 इस प्रकार कुल 19.4810है0 में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/03/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:17 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़